राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3225/2025

राकेश स्वामी

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर रेंज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सैमाल गुर्जर, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 19.06.2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढोलम, ब्लॉक छिपाबड़ौद, जिला बारां में स्थानांतरित किया था, उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 6 पर है। (अनलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रारंभ में वर्ष 1994 में व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का दिनांक 24.09.2022 के एक आधिकारिक आदेश द्वारा उन्हें निदेशक, शैक्षणिक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 29.09.2022 को कार्यभार ग्रहण किया। (अनलग्नक–2) अपीलार्थी ने आधिकारिक आदेश दिनांक 24.09.2022 के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में अपनी सेवाएं दीं, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 27.05.2025 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया जिसके द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई और कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में दी गई उपस्थिति के लिए कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया। आधिकारिक आदेश दिनांक 24.9.2022 के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को निदेशक, शैक्षणिक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है, इसलिए अपीलार्थी कभी प्रतिनियुक्ति पर

कार्यरत नहीं था लेकिन आदेश दिनांक 27.05.2025 में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जानबूझकर प्रतिनियुक्ति शब्द का उपयोग किया। (अनलग्नक–3) दिनांक 27.05.2025 के आदेश के अनुसरण में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव, राजस्थान, अजमेर को 04.06.2025 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में अगली उपस्थिति देने का निर्देश दिया गया है। (अनलग्नक–4) दिनांक 11.06.2025 के आदेश द्वारा, संयुक्त निदेशक, कार्यालय शिक्षा जयपुर रेंज, का मुख्यालय परिवर्तित कर जयपुर में पदस्थापित किया गया है, जहाँ उन्होंने दिनांक 12.06.2025 को कार्यभार ग्रहण किया, तब से वे उपरोक्त स्थान पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। (अनलग्नक–5) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 19.06.2025 को आदेश पारित किया जिसके द्वारा प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया, उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 6 पर है जिसके द्वारा उसे संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर रेंज, जयपुर के कार्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोलम, ब्लॉक छिपाबड़ौद, जिला बारां में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी की जन्मतिथि 01.02.1966 है और वह 31.01.2026 को सेवानिवृत्त होगा। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवल 7 माह शेष हैं। (अनलग्नक–6) माननीय खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जोधपुर ने डॉ. श्रीमती पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण एवं अन्य के मामले में डी.बी. सिविल विशेष अपील संख्या 1430/1999 में सिद्धांत निर्धारित किया था, जिसका निर्णय दिनांक 14.02.1999 को हुआ था। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 19.06.2025 अपास्त फरमया जावे एवं अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात संयुक्त निदेशक, शिक्षा जयपुर रेंज जयपुर के कार्यालय से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जावे साथ ही परिणामस्वरूप उसे सभी लाभ प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष